संख्या-107/2020/2929/22-2-2019-17(108)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामा कुमार सिंह पुत्र श्री शिवपाल, निवासी-जिला-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-26.09.2019 दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामा कुमार सिंह पुत्र श्री शिवपाल, जो-ओसिया, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.03.2006 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-450/2006 व 452/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 302/120बी व 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-9, उन्नाव के आदेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र-68 वर्ष, काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्यामा कुमार सिंह (बंदी संख्या-27282) पुत्र श्री शिवपाल, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-107/2020/2929(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in